राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक– प.12(3)वित्त–नियम/2022 जयपुर, दिनांक– 24 MAR 2022

परिपत्र

विषय– प्रदेश में दिनांक 1–1–2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत राजकीय उपक्रमों/स्वशासी निकायों में नवीन अंशदायी पेंशन हेतु वेतन से मासिक कटौती नहीं करने बाबत्।

राजकीय उपक्रमों/स्वशासी निकायों में नियुक्त कार्मिकों की नवीन अंशदायी पेंशन हेतु वेतन से होने वाली मासिक कटौती 1 अप्रेल, 2022 को भुगतान योग्य वेतन (March paid April) से नहीं की जानी है।

अतः ऐसे राजकीय उपक्रम/स्वशासी निकाय जिनमें कार्मिकों के लिये 01–01–2004 से पूर्व नियुक्ति की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना (OPS) तथा उसके पश्चात् नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू है, उन संस्थाओं में दिनांक 1–1–2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के नवीन अंशदायी पेंशन (NPS) वर्तमान में लागू है, उनके नवीन अंशदायी पेंशन हेतु होने वाली 10 प्रतिशत मासिक कटौती समाप्त करते हुए ही दिनांक 1–4–2022 को वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, राजकीय उपक्रम विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के संदर्भ में उपरोक्त परिपत्र की पालना कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करावें।

(एस.जेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(Pension 5/2022)

राजस्थान सरकार
राजकीय उपक्रम विभाग
राजकीय उपक्रम ब्यूरो

क्रमांकः–एफ2(4)बीपीई/89/पार्ट–II/ 139 जयपुर, दिनांक 29/3/2022

प्रबन्ध

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक, समस्त राजकीय उपक्रमों को प्रेषित कर निवेदन है कि वित्त (नियम) विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना कर ब्यूरो को सूचित करानें का श्रम करावें।

(कीर्ति जैन)
संयुक्त शासन सचिव